

ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही।

विविध वाद संख्या 36/15

अर्जुन प्रजापति वगैरह —बनाम— जगरनाथ प्रजापति वगैरह

—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :- अभियुक्ति

आवेदकगण अर्जुन प्रजापति वगैरह निवासी ग्राम बरहीडीह, थाना बरही, जिला हजारीबाग द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित किया है कि मौजा बसरिया, थाना बरही, जिला हजारीबाग अन्तर्गत खाता सं० 07, प्लॉट सं० 85, रकबा $41\frac{1}{2}$ ए० एवं प्लॉट सं० 96, रकबा 1.68 ए० कुल रकबा $2.09\frac{1}{2}$ ए० भूमि का विपक्षीगण जगरनाथ प्रजापति वगैरह निवासी ग्राम बरहीडीह एवं पंचमाधव के नाम से निर्गत हो रहे रसीद एवं कायम जमाबंदी को स्थगित करने का अनुरोध किया है। तत्पश्चात विधिवत अभिलेख संधारित करते हुए पक्षकारों को सुना तथा अंचल अधिकारी, बरही से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित आवेदन में उल्लेखित किया गया है कि यह विवाद जमाबंदी केश सं० 340/2006-07 द्वारा दिनांक 02.02.2006 द्वारा विपक्षी नं०-2 जितेन्द्र यादव पिता रामेश्वर यादव एवं 3 बिनोद यादव पिता रामेश्वर यादव के नाम से कायम की गई जमाबंदी के कारण उत्पन्न हुआ है, जो तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरही द्वारा कायम की गई है। भूमि की विवरणी सिड्यूल A पर अंकित है। प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत उगर कुम्हार के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है। उगर कुम्हार द्वारा उक्त भूमि अपने मेहनत मजदूरी से हासिल किया गया था, जो सर्वे के दौरान उनके नाम से दर्ज हुआ। खतियान में दर्ज भूमि का सिड्यूल B में दर्शाया गया है, जो मौजा बसरिया थाना सं० 128, खाता सं० 07 प्लॉट सं० एवं रकबा का विवरण निम्नवत है:-

सिड्यूल "B"

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
07	03	1.79 ए०
07	10	1.10 ए०
07	85	0.83 ए०
07	96	3.36 ए०
07	120	1.44 ए०
07	188	2.98 ए०
07	171	5.80 ए०
07	187	5.11 ए०
07	209	0.89 ए०
07	229	3.42 ए०
कुल प्लॉट 10		कुल रकबा 26.72 ए०

आवेदकगण खतियानी रैयत के न्यायायिक उत्तराधिकारी है। इन्होंने वंशावली समर्पित किया है, जो आवेदन के सिड्यूल "C" पर अंकित है। उगर कुम्हार की मृत्यु के पश्चात इनके एक मात्र पुत्र डोमन कुम्हार हुए खतियान की प्रति संलग्न है। वर्ष 1951-1952 एवं 1954 में दामोदर घाटी निगम द्वारा खाता 07 के प्लॉट सं० 171, रकबा 5.80 ए०, प्लॉट सं० 187 रकबा 5.11 ए० एवं प्लॉट सं० 209, रकबा 0.89 ए० भूमि अधिग्रहीत किया

गया तथा उसका मुआवजा डोमन कुम्हार को मिला। नोटिस की छाया संलग्न है। डोमन कुम्हार की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्र उमर कुम्हार एवं महादेव कुम्हार हुए। उमर कुम्हार की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ताला प्रजापति एवं छत्रधारी प्रजापति हुए। विशुनधारी प्रजापति उर्फ महादेव प्रजापति की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अर्जुन प्रजापति एवं रूपु प्रजापति अपने पिता की सम्पत्ति के वारिश हुए तथा प्रश्नगत भूमि पर खेती-बारी करते हुए शांतिपूर्वक दखलकार रहे। विपक्षी नं०-1 जगरनाथ प्रजापति द्वारा बिना किसी अधिकार एवं दखल के प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम से कराने हेतु अंचल अधिकारी बरही के यहाँ आवेदन दाखिल किया गया एवं प्लॉट नं० 85 रकबा 0.83 ए० प्लॉट नं० 96 रकबा 3.36 ए० प्लॉट नं० 120 रकबा 1.44 ए० प्लॉट नं० 144, रकबा 1.49 ए० प्लॉट नं० 10 रकबा 0.55 ए० कुल रकबा 7.67 ए० भूमि का सादा बंटवारानामा के आधार पर दाखिल खारिज करने का आवेदन किया गया एवं अंचल अधिकारी, बरही द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 275/2001-02 द्वारा जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद निर्गत कर दिया गया। अंचल अधिकारी, बरही द्वारा बिना सुनवाई के दाखिल खारिज किया गया जबकि सादा बंटवारानामा में महादेव कुम्हार एवं उमर कुम्हार ने कभी हस्ताक्षर नहीं किया है। सादा बंटवारानामा की प्रति संलग्न है। विपक्षी नं०-1 द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 275/2001-02 के आधार पर प्लॉट नं० 85 रकबा $41\frac{1}{2}$ ए० एवं प्लॉट नं० 96, रकबा 1.68 ए० कुल रकबा $2.09\frac{1}{2}$ ए० विपक्षी नं०-2 जितेन्द्र यादव एवं 3. बिनोद यादव दोनों पिता के रामेश्वर यादव निवासी ग्राम पंचमाधव को विक्रय पत्र सं० 16009, दिनांक 05.12.2001 द्वारा बिक्री कर दिये तथा इसी विक्रय पत्र के आधार पर अंचल अधिकारी, बरही द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 340/2006-07 द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी जबकि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगण का दखल कब्जा कभी नहीं रहा तथा पूर्व का दाखिल खारिज वाद 275/2001-02 एवं बाद की दाखिल खारिज वाद 340/2006-07 मात्र कागजी कार्रवाई बन कर रह गया है। चूंकि सादा बंटवारानामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वैध नहीं है। जब आवेदकगण को उक्त जमाबंदी की जानकारी हुई तो माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया कि उक्त जमाबंदी को स्थगित किया जाय साथ ही माननीय सिविल जज डिविजन-1 हजारीबाग में विक्रय पत्र सं० 16009 को रद्द करने हेतु वाद दायर किया गया तथा सी० जे० एम० हजारीबाग के न्यायालय में वाद सं० 1008/17 दायर किया गया है की जाली दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी कायम कराने हेतु उन्हें दंडित किया जा सके। उपरोक्त परिपेक्ष्य में श्रीमान से अनुरोध है कि जाली दस्तावेज के आधार पर कायम की गई जमाबंदी को रद्द/स्थगित किया जाय।

विपक्षीगण द्वारा विभिन्न तिथियों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा तथा लिखित जवाब दाखिल किया गया है जिसमें इन्होंने उल्लेखित किया है कि यह वाद खारिज करने के योग्य है चूंकि टाईटल सुट नं० 31/2018 माननीय सिविल जज सिनीयर डिविजन नं० 1 में सुनवाई की

कुपु प्रजापति
खेती-बारी
मने

जा रही है उनके द्वारा टाईटल सुट नं० 31/2018 की छायाप्रति संलग्न की गई है। अतः वाद की कार्यवाई समाप्त की जाय।

प्रथम पक्ष द्वारा विपक्षी के लिखित जवाब के आलोक रिजवाइन्डर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि इस वाद की कार्यवाई में बहस हेतु तिथि निर्धारित की जाय ताकि दोनों पक्षों को सुना जा सके। दिनांक 26.09.2019 को दोनों पक्षों का बहस सुना गया। जहां प्रथम पक्ष द्वारा आवेदन में वर्णित तथ्यों को विस्तार से बताया गया। जाली दस्तावेज/सादा बंटवारानामा के आधार पर विपक्षी नं०-1 के नाम कायम जमाबंदी तथा बाद में विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी नं०-2 एवं 3 के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द/स्थगित करने का अनुरोध किया गया, साथ ही लिखित जवाब भी दाखिल किया गया एवं खतियान की छायाप्रति, सरकारी लगान रसीद की प्रति, भू-अर्जन से संबंधित नोटिस की छायाप्रति सादा बंटवारानामा की छायाप्रति, अंचल अधिकारी बरही के दाखिल खारिज वाद सं० 275/2001-2002 की छायाप्रति एवं विक्रय पत्र सं० 16009 दिनांक 15.12.2001 की छायाप्रति संलग्न किया गया है जबकि विपक्षी द्वारा अपने पक्ष में सिर्फ यह कहा गया कि माननीय न्यायालय सबजज-1 हजारीबाग में टाईटल सुट नं० 31/2018 विचाराधीन है इसलिए आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाय।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खतियान में प्रश्नगत भूमि उगर कुम्हार के नाम से दर्ज है, जिसके वारिशान प्रथम पक्षकार अर्जुन प्रजापति वगै० है। प्रथम पक्ष का कहना है कि सादा बंटवारानामा में महादेव कुम्हार तथा उमर कुम्हार का हस्ताक्षर जाली है तथा सादा बंटवारानामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वैध नहीं है। अंचल अधिकारी, बरही के दाखिल खारिज वाद सं० 275/2001-2002 के आदेशफलक में प्रतिवेदित किया गया है कि खतियान उगर कुम्हार वल्द लक्ष्मण कुम्हार के नाम दर्ज है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि खतियानी रैयत उगर कुम्हार का छोटा भाई चिहुटी कुम्हार का जन्म खतियान बनने के बाद हुआ है। फलस्वरूप छोटे भाई का देख-रेख एवं पालन पोषण खतियानी रैयत के द्वारा किया गया है। इस आधार से चिहुटी कुम्हार का प्रश्नगत भूमि पर आधा हिस्सा होता है और इसी प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, बरही द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 275/2001-2002 की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा इसी आधार पर बाद में केवाला सं० 16009 दिनांक 05.12.2001 द्वारा विपक्षी-1 द्वारा विपक्षी नं०-2 एवं 3 को बिक्री किये गये भूमि का दाखिल खारिज वाद सं० 340/2006-07 द्वारा स्वीकृत करते हुए विपक्षीगण 2 एवं 3 के नाम से जमाबंदी कायम की गयी जबकि विपक्षीगण द्वारा इससे संबंधित कोई साक्ष्य/बचाव/लिखित जवाब अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में देना उचित नहीं समझा। खतियान की सत्यता का प्रश्न उठाने की अधिकारिता अथवा संशोधन करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है चूंकि मामला सिविल न्यायालय में लंबित है। अंचल अधिकारी, बरही द्वारा सादा बंटवारानामा के आधार पर लगभग 30 वर्षों से अधिक समय के

6

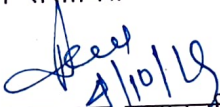
पु
क्षणीय

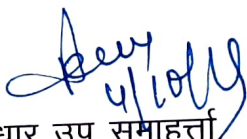
पश्चात विपक्षीगण जगरनाथ प्रजापति वगैरह के आवेदन के आलोक में उचित जांच पडताल किये तथा खतियानी रैयत के वारिशानों को वि सूचना एवं उनकी सहमति लिये बिना ही विपक्षीगण के नाम से दाखिल खारिज वाद सं० 275/01-02 की स्वीकृति दी गयी है तथा बाद में इसी आधार पर जगरनाथ प्रजापति द्वारा बिक्री किये गये भूमि का दाखिल खारिज वाद सं० 340/2006-07 की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा जमाबंदी कायम करते हुए सरकारी लगान रसीद निर्गत कर दिया गया। इसके लिए अंचल अधिकारी, बरही ने अपने उच्चतर अधिकारियों से भी मंतव्य/दिशानिर्देश प्राप्त करना उचित नहीं समझा।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अंचल अधिकारी, बरही के दाखिल खारिज वाद सं० 275/2001-2002 को संदिग्ध मानते हुए दाखिल खारिज वाद सं० 340/2006-07 द्वारा विपक्षीगण 2 एवं 3 के नाम से कायम जमाबंदी को स्थगित किया जाता है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, बरही को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बरही, हजारीबाग।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बरही, हजारीबाग।